



कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2495/ 12-1 दिनांक, पौड़ी, जून 20, 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(FP/UK/ROAD/145990/2021)

सन्दर्भ-

आपकी पत्र सं०-292/12-1 दिनांक 01.07.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 एवं पत्रांक 4905/12-1 दिनांक 01.05.2025 (दिनांक 12.06.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त) से विषयांकित प्रकरण में चाही गई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो निम्नवत् है-

क्र०	चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव 2 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार विषयसूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न कर दी गई है, तथा प्रस्ताव की 03 प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।
2	प्रस्ताव में सभी प्रपत्र/प्रमाण पत्रों को क्रमवार यथास्थान विषयसूची तैयार कर संलग्न की जानी है।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार विषयसूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न कर दी गई है।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1,2 एवं 3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1,2 एवं 3 में सभी बिन्दुओं पर सूचना अंकित कर प्रस्ताव के प्रारम्भ में क्रमवार संलग्न कर दिया गया है।
4	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है- a- In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 4905/12-1 दिनांक 01.05.2025 से अवगत कराया गया है, कि Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

	b-The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।	
5	प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-80ए में संलग्न किया गया है।
6	प्रस्तावित परियोजना में अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित है। वृक्षों की संख्या को न्यूनतम तक सीमित किया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-39 में संलग्न किया गया है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाए ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित एस0आई0आर0 के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन पार्ट-11 में यथास्थान अपलोड की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 85ए संलग्न किया गया है।
8	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में लगाया जाए कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी में दशा में नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 4905/12-1 दिनांक 01.05.2025 से अवगत कराया गया है, कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी में दशा में नहीं किया जाएगा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-80 में संलग्न किया गया है।
9	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि SIR में प्रस्ताव का नाम शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 13ए,13बी में संलग्न किया गया है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

10	प्रस्तावक विभाग को एक रापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेकी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि पर गंदगी नहीं फेकी जाएगी इस आशय का रापथ पत्र पृष्ठ सं0-88 में संलग्न किया गया है।
11	के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित गांव के पास सड़कों को चिह्नित कर दिया गया है और मौजूदा सड़कों को अलग रंगों से दर्शा दिया गया है।
12	डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रमाण पत्र पृष्ठ सं0-78 में संलग्न किया गया है।
13	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाए की वह Stabilized हो जाए, ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधारोपण करने में सुविधा हो।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रमाण पत्र पृष्ठ सं0-79 में संलग्न किया गया है।
14	पौधारोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि उक्त दिये निदेश/सुझाव का वृक्षारोपण/पौध रोपण करते समय अनुपालन किया जायेगा।
15	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरिकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी बट्टीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2373/12-1 दिनांक 09.12.2024 से अवगत कराया गया है, कि उक्त दिये निदेश/सुझाव का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP